नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा,
जिला - गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्र संख्याः नौएडा/ बोर्ड बैठक/2024/1304
दिनांकः 28-11-2024

विशेष कार्याधिकारी–(के0एस0 / डी0पी0 / ए0एस0 / ए0के0),
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
महाप्रबंधक – (जल / विद्युत यांत्रिकी / नियोजन / जन स्वास्थ्य)
उप महाप्रबन्धक (सिविल)
निदेशक–उद्यान
सहायक महाप्रबंधक (औद्योगिक / संस्थागत / वाणिज्यिक / आवासीय भूखण्ड / भवन विभाग / सामान्य प्रशासन / स्पोर्ट सिटी)
नौएडा ।

कृपया प्राधिकरण बोर्ड की 215वीं बैठक दिनॉक 26.10.2024 के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अपने विभाग से सम्बन्धित प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पत्र जारी होने की तिथि से 07 दिनो के अन्दर बोर्ड बैठक कार्यालय में भिजवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(शोभा कुशवाहा)
सहायक महाप्रबन्धक–बोर्ड बैठक

प्रतिलिपिः-

1. स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस0के0 / वी0टी0 / एस0पी0) महोदय / महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव को विशेष कार्याधिकारी–एम0पी0 महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विधि सलाहकार महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
5. वित्त नियंत्रक, महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

सहायक महाप्रबन्धक–बोर्ड बैठक

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

बोर्ड की

215वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक :- 26.10.2024

समय :- पूर्वान्ह 11.30 बजे

स्थान :- सभाकक्ष
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन,
सैक्टर–6, नौएडा,
जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड की 215वीं बैठक दिनांक 26.10.2024 का कार्यवृत :–

मद संख्या	विषय
215/1	प्राधिकरण बोर्ड की 214वीं बैठक दिनांक 12.07.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।
निर्णय	**प्राधिकरण बोर्ड की 214वीं बैठक दिनांक 12.07.2024 को सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक का कार्यवृत्त संचालक मण्डल के सदस्यों को प्राधिकरण के पत्र दिनांक 10.08.2024 द्वारा प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त प्रसारित होने के उपरान्त सदस्यगणों द्वारा कोई टिप्पणी व्यक्त नहीं की गयी है। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।**
215/2	प्राधिकरण बोर्ड की 214वीं बैठक दिनांक 12.07.2024 में पारित निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय	**संचालक मण्डल द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।**
ग्रुप हाउसिंग विभाग	
215/3	पुरानी रूकी हुई भू–सम्पदा परियोजनाओं (लिगेसी स्टॉल्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स) की समस्याओं के निदान के लिये शासनादेश संख्या–7774/77–4–2023–6011/2023, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में नीति/पैकेज को क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट।
निर्णय	**संचालक मंडल द्वारा प्रगति आख्या का अवलोकन करते हुये निर्देश दिये गये कि जिन बिल्डरों द्वारा शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के क्रम में देय धनराशि जमा नहीं करायी गयी है, उनके विरूद्ध शासनादेश के क्रम में प्रभावी कार्यवाही की जाये। साथ ही जिन परियोजनाओं में देय धनराशि जमा करा दी गयी है उनके सापेक्ष अवशेष रजिस्ट्रियाँ शीघ्र करायी जाये।**
विभाग– वित्त विभाग	
215/4	वित्तीय वर्ष 2024–25 के अर्द्धवार्षिक (30 सितम्बर, 2024 तक) की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या।
निर्णय	**संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2024–25 के अर्द्धवार्षिक (30 सितम्बर, 2024 तक) की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या को अवलोकित किया गया।**
215/5	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2023–24 के Accrual के आधार पर वित्तीय विवरण (तुलन पत्र एवं आय व्ययक) के सम्बन्ध में।

निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकरण के वित्तीय वर्श 2022–23 के **Accrual** के आधार पर वित्तीय विवरण (तुलन पत्र एवं आय व्ययक) के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
215/6	नौएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु ज्वाइंट वेंचर कम्पनी के रूप में Noida International Airport Ltd. में निर्धारित अंशधारिता के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी धनराशि के संबंध में।
निर्णय	**संचालक मण्डल द्वारा नौएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की स्थापना हेतु ज्वाइंट वेंचर कम्पनी के रूप में Noida International Airport Ltd. में निर्धारित अंशधारिता के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी धनराशि के प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।**
215/7	UP International Trade Show 2024 में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण पर आने वाले वित्तीय भार को समानुपाति रूप से वहन करने के संबंध में।
निर्णय	**संचालक मण्डल द्वारा UP International Trade Show 2024 में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण पर आने वाले वित्तीय भार को समानुपातित रूप से वहन करने के प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।**
ग्रुप हाउसिंग विभाग	
215/8	फ्लैट बायर्स के हितो की रक्षा एवं शासन को स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति हेतु फ्लैट क्रेता द्वारा प्रमोटर को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के बाद फ्लैट क्रेता के पक्ष में एग्रीमेंट–टू–सेल एक्सक्यूट किये जाने तथा प्रोपर्टी की वैल्यू के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करते हुए पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय	**संचालक मंडल द्वारा फ्लैट बायर्स के हितो की रक्षा हेतु फ्लैट क्रेता द्वारा प्रमोटर को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के बाद फ्लैट क्रेता के पक्ष में ट्राई पारटाईट एग्रीमेंट–टू–सेल निष्पादित किये जाने तथा प्रोपर्टी की वैल्यू के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करते हुए पंजीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।**
215/9	शासनादेश दिनांक 21.12.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत M/s. Sunworld Residency Pvt. Ltd. को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच–01/सी, सैक्टर–168, नौएडा की परियोजना को पूर्ण करने हेतु मैसर्स निम्बस प्रोजेक्ट लि0 को सह–डेवलपर के रूप में प्रदान की गयी अनुमति की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।
निर्णय	**संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की गयी। को–डेवलपर के अधिकार व कर्तव्य शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के प्राविधानों के अनुसार होगा।**
विभाग– संस्थागत विभाग	

215/10	नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर, गाजियाबाद को एस0टी0पी0/एस0पी0एस0 के निर्माण एवं जलापूर्ति के लिये सैक्टर–62, नौएडा में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के पास आवंटित भूमि की धनराशि का भुगतान विलम्ब से करने के कारण ब्याज की मद में अधिरोपित धनराशि को माफ किये जाने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर, गाजियाबाद को एस0टी0पी0/एस0पी0एस0 के निर्माण एवं जलापूर्ति के लिये सैक्टर–62, नौएडा में आवंटित भूमि की धनराशि का भुगतान विलम्ब से करने के कारण ब्याज की मद में अधिरोपित धनराशि को माफ किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
215/11	M/s. Chambal Trading Pvt. Ltd. को आवंटित संस्थागत भूखण्ड सं0 ए–37 व 38, सैक्टर–62 नौएडा के प्रकरण में उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41 (3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.09.2024 को अंगीकृत कराये जाने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.09.2024 के अनुपालन में भूखण्ड के निष्पादित पट्टा प्रलेख में यथावश्यक संशोधन किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रस्ताव पर विचार करते हुए संचालक मण्डल ने यह पाया कि प्रश्नगत परियोजना आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 की मानते हुए आई0टी0 प्लाट आवंटित किया गया है, जिसका अनुमन्य भू–तल आच्छादन 30 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 150 था। यह अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक 29.09.2008 को प्रदान किया गया। तदनुसार दिनांक 24.10.2008 को मानचित्र स्वीकृत किया गया। पुनः पुनरीक्षित मानचित्र आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 उपयोग के लिए दिनांक 05.07.2021 को स्वीकृत किया गया। उपरोक्त भूखण्ड पर अतिरिक्त एफ.ए.आर. की स्वीकृति 21.12.2022 को प्रदान की गयी है। अतिरिक्त एफ.ए.आर. क्रय हेतु संस्था द्वारा प्राधिकरण में रू. 60.00 करोड़ जमा किए गए हैं। टाईम एक्सटेंशन हेतु दिनांक 07.12.2023 को रू. 2.43 करोड़ जमा किया गया है। आवंटी द्वारा दिनांक 05.01.2024 को कय योग्य एफ.ए.आर. सहित मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया, जिस पर संस्थागत विभाग ने प्रोजेक्ट को एडीटिंग एण्ड डाटा प्रोसेसिंग फार न्यूज पेपर्स, टी.वी. इण्डस्ट्री, फिल्म वीडियो–ऑडियो स्टूडियो आफिस क्रिया हेतु अनुमन्य कहते हुए नियोजन विभाग को मानचित्र स्वीकृति हेतु संस्तुति नहीं दी गयी। इस कम में आवंटी द्वारा उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41 (3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 में शासन में रिवीजन फाईल किया गया। रिवीजन का निस्तारण दिनांक 28.09.2024 के आदेश से किया गया। यह प्रस्ताव उपरोक्त आदेश दिनांक 28.09.2024 के अंगीकरण

	से सम्बन्धित है। संचालक मण्डल ने इस विषय पर विचार विमर्श करते हुए यह पाया कि प्राधिकरण में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर से 03 बार प्रश्नगत परियोजना को आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 का परियोजना मानते हुए कार्यवाही की गयी है तथा मानचित्र अनुमोदन के साथ-साथ अतिरिक्त एफ.ए.आर. क्रय की भी स्वीकृति दी गयी है। प्राधिकरण स्तर से इन कार्यवाहियों के उपरान्त 16 वर्षों के बाद संस्थागत विभाग द्वारा परियोजना को आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 का न मानना एवं लीज डीड में संशोधन करने का तर्क सर्वथा अनुचित है। प्रकरण में प्रोजेक्ट को प्राधिकरण द्वारा दिए गए पूर्व अनुमोदनों के क्रम में तथा आदेश दिनांक 28.09.2024 के क्रम में आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 परियोजना मानते हुए मानचित्र को स्वीकृति प्रदान की जाए। प्राधिकरण सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही से अगली बोर्ड बैठक में अवगत कराए। प्राधिकरण यह भी एग्जामिन कर लें कि क्या इस तरह के अन्य प्रकरण भी हैं जहाँ परियोजना की श्रेणी तथा आवंटित भूखण्ड की श्रेणी में भिन्नता है एवं प्रकरण में नई लीज डीड निस्पादित की गयी है।
215/12	प्राधिकरण द्वारा डाटा सेन्टर उपयोग हेतु पूर्व में दो बार प्रकाशित योजना में आवेदन प्राप्त न होने के कारण संबंधित भूखण्डों को आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 की योजना के माध्यम से आवंटित करने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डाटा सेन्टर उपयोग हेतु चिन्हित भूखण्डों को आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 की योजना के माध्यम से आवंटित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
विभाग- आवासीय भूखण्ड विभाग	
215/13	आवासीय भूखण्ड (सामान्य) के आवंटन के उपरान्त भूखण्ड पर निर्माण न होने पर हस्तान्तरण पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया गया।
विभाग- नियोजन विभाग	
215/14	स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में।
निर्णय	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त संचालक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि औद्योगिक भूखण्डों पर निर्मित भवनों के आंशिक/पूर्ण अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व इन भवनों की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए आई.आई.टी./एन.आई.टी./ मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का प्रमाण पत्र नौएडा भवन विनियमावली-2010 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त किया जाता है अतः इन भवनों में भवन निर्माण पूर्ण करने तथा O.C. प्राप्त करने के

Manoj

	उपरान्त स्ट्रक्चरल ऑडिट कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी में उक्त सीमा तक संशोधित कर लिया जाये। साथ ही एन. आई.टी., दिल्ली को स्ट्रक्चरल ऑडिट हेतु गठित पैनल में सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
215/15	चार मंजिल तक के भवनों में लिफ्ट दिये जाने की पॉलिसी में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में।
निर्णय	**विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त संचालक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चार मंजिल तक के भवनों में लिफ्ट दिये जाने की पॉलिसी में संशोधन की आवश्यकता नही है। तदनुसार प्रस्ताव को निरस्त किया गया।**
215/16	इम्राल्ड कोर्ट, जीएच–04, सैक्टर–93ए से जुड़ी ग्रीन बैल्ट की भूमि में इलैक्ट्रिक सब स्टेशन की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।
निर्णय	Deferred
विभाग– कार्मिक विभाग	
215/17	शासनादेश 4835/77–4–20–03जीएन/20, दिनांक 01.01.2021 के क्रम में विशिष्ट परिस्थिति में कार्यहित में श्री इश्तियाक अहमद, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक–नियोजन को 06 माह हेतु (दिनांक 13.09.2024 से दिनांक 12.03.2025 तक) नौएडा प्राधिकरण में संविदा के आधार पर अनुबंधित किये जाने के संबंध में।
निर्णय	**संचालक मण्डल द्वारा शासनादेश 4835/77–4–20–03जीएन/20, दिनांक 01.01. 2021 के क्रम में कार्यहित में श्री इश्तियाक अहमद, महाप्रबंधक–नियोजन की अनुबंधित अवधि अग्रिम 06 माह के लिए बढ़ाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।**
215/18	शासनादेश दिनांक 01.01.2021 के क्रम में श्री अनिल कुमार, सहायक महाप्रबंधक–प्र/सा0 की अनुबंधित अवधि अग्रिम 06 माह तक बढ़ाये जाने की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय	**संचालक मण्डल द्वारा शासनादेश दिनांक 01.01.2021 के कम में कार्यहित में सहायक महाप्रबंधक–प्रा0/सा0 के पद पर सेवानिवृत्त कर्मी को 06 माह के लिए नौएडा प्राधिकरण में संविदा के आधार पर अनुबंधित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**
215/19	शासनादेश संख्या 4835/77–4–20– 03जीएन/20 दिनांक 01.01.2021 एवं शासनादेश संख्या 852/77–4–20–03जीएन /20 दिनांक 21.04.2021 के क्रम में नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में यथा आवश्यकता रिक्त पदों पर कार्यहित में सेवानिवृत्त समूह क, ख एवं ग के समतुल्य पदों के सापेक्ष कार्मिकों को 06 माह की अवधि हेतु अनुबंधित किये जाने की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा शासनादेश संख्या 4835/77–4–20– 03जीएन/20 दिनांक 01.01.2021 एवं शासनादेश संख्या 852/77–4–20–03जीएन /20 दिनांक 21.04. 2021 के क्रम में नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में यथा आवश्यकता रिक्त पदों पर कार्यहित में सेवानिवृत्त समूह क, ख एवं ग के समतुल्य पदों के सापेक्ष कार्मिकों को 06 माह की अवधि हेतु अनुबंधित किये जाने के प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही अभियांत्रिकी विभागों में प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक की कमी के दृष्टिगत अन्य केन्द्रीय संस्थानों की भांति **Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) Score** के आधार पर रिक्त पदों की भर्ती हेतु निर्देशित किया गया।
215/20	शासनादेश संख्या 852/77–4–20–03जीएन/20 दिनांक 21.04.2021 के क्रम में कार्यहित में लेखा संवर्ग में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त कर्मी को 06 माह के लिए नौएडा प्राधिकरण में संविदा के आधार पर अनुबंधित किये जाने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा शासनादेश संख्या 852/77–4–20–03जीएन/20 दिनांक 21. 04.2021 के क्रम में कार्यहित में लेखा संवर्ग में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त कर्मी को 06 माह के लिए नौएडा प्राधिकरण में संविदा के आधार पर अनुबंधित किये जाने के प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
सामान्य प्रशासन विभाग	
215/21	प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञा/किराया पर आंवटित परिसम्पत्तियां जैसें:–सरकारी विभाग/ पैट्रोल पम्प/ बैकों एवं निजी व्यक्तियों से किराये के मद में बकाया धनराशि की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme, OTS-III) को लागू करने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लिया गया कि अनुज्ञा/किराया पर आंवटित 49 परिसम्पत्तियों –सरकारी विभाग/ पैट्रोल पम्प/ बैकों एवं निजी व्यक्तियों– पर रू0 1578.14 करोड़ की अतिदेयता शेष है। तत्पश्चात् संचालक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि इन सभी डिफाल्टर्स को अतिदेयता के भुगतान हेतु अन्तिम नोटिस निर्गत करें तथा भुगतान न प्राप्त होने पर अनुज्ञा अनुबन्ध निरस्त करते हुए परिसम्पत्ति को सील कर दिया जाये।
विभाग– भूलेख विभाग	
215/22	नौएडा प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष शत–प्रतिशत प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के पश्चात पुनः 10% जमा कर 5% आबादी भूखण्ड एवं समतुल्य धनराशि प्रदान किये जाने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा 10.05.2023 तक 69 कृषकों द्वारा जमा किये गये 10 प्रतिशत धनराशि के प्रकरणों पर 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड के समतुल्य रू0–22000/–(रू0

Manoj

	बाईस हजार) प्रति वर्गमीटर की दर से धनराशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
215/23	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित संख्या–6022/ 2008, प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य एवं याचिका संख्या–37443/2011, गजराज व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, की पूर्ण पीठ के आदेश क्रमशः दिनांक 17.02.2012 व दिनांक 21.10.2011 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–30969/2011, सावित्री देवी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–19301/ 2012, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम प्रमोद व अन्य में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 14.05.2015 व दिनांक 03.02.2015 के अनुपालन में याची काश्तकारगणों को पात्रता के अनुसार 10 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड के समतुल्य धनराशि के स्थान पर 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड व अतिरिक्त 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड के समतुल्य धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा पूर्ववत् कार्यालय आदेश दिनांक 06.01.2017 के क्रम में ही यथावत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
विभाग– वाणिज्यिक विभाग	
215/24	एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड द्वारा दिनांक 27.06.2024 को भूखण्ड संख्या ए–2, सैक्टर–38ए नौएडा में स्थित एम्यूजमेंट एवं मनोरंजन पार्क के भू–विन्यास मानचित्र के नवीनीकरण के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा टिप्पणी की गई कि एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड द्वारा अपने प्रस्ताव में रिक्त भूमि पर कार्ययोजना के संबंध में स्पष्ट एवं विस्तृत विवरण, परियोजना में इच्छुक निवेशकों तथा प्रस्तावित निवेश का उल्लेख नहीं है और न ही वर्तमान तिथि तक की अतिदेयताओं के भुगतान हेतु समय–सीमा निर्धारित की गई है। संचालक मण्डल द्वारा एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड द्वारा स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
215/25	M/s Wave Mega City Centre Pvt. Ltd., Plot No. CC-01, Sector 25A & 32, Noida के संबंध में धारा 41(3) के अंतर्गत शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2024 के अनुपालन के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण सनदी लेखाकार मै0 सार्क एण्ड एसोसिएट एवं मै0 राव भारद्वाज एण्ड कम्पनी से शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2024 के क्रम में गणना कराकर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें। लेखाकारगण प्लाट के सापेक्ष जमा प्रीमियम एवं ब्याज की राशि में 15 प्रतिशत घटाते हुए शेष राशि के प्लाट के सापेक्ष 10 वर्षों में जमा किए जाने वाले प्रीमियम व ब्याज की कुल राशि का रेशियों के अनुसार आवंटन के विकल्प पर भी मन्तव्य दें। उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्गत शासनादेश

	संख्या–4880/77–4–2023/105 अपील/23, दिनांक 25.08.2024 पर कोई अग्रिम कार्यवाही बोर्ड द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय के उपरान्त ही की जाएगी। तदनुसार शासन को उपरोक्त आदेश के क्रम में सूचित कर दिया जाए।
जन स्वास्थ्य विभाग	
215/26	नौएडा प्राधिकरण में श्रम शक्ति आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिलाए जाने के संबंध में।
निर्णय	नौएडा प्राधिकरण में श्रम शक्ति (2.5% के कर्मी) आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कार्यरत् कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा एक नीति बनाकर चिकित्सा सुविधा हेतु Health Insurance Company का चयन कर तदनुसार कर्मचारियों को उस नीति के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
विभाग– कार्मिक विभाग	
215/27	दादरी–नौएडा–गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डी.एन.जी.आई.आर.) हेतु सलाहकार के रूप में श्रीमती लीनू सहगल की नियुक्ति किये जाने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा दादरी–नौएडा–गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डी.एन.जी.आई.आर.) हेतु सलाहकार के रूप में तथा नियोजन विभाग के अन्य कार्य हेतु श्रीमती लीनू सहगल की नियुक्ति किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
विभाग– ग्रुप हाउसिंग विभाग	
अनुपूरक–1 मद संख्या 215/1	शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के क्रम में मैसर्स एम्बिएन्स एण्ड इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच–1, सैक्टर–115, नौएडा पर परियोजना को पूर्ण करने हेतु मैसर्स थीमकाउन्टी प्रा0लि0 को कॉ–डेवलपर के रूप में मान्यता प्रदान करने पर निर्णय के संबंध में।
निर्णय	Deferred
विभाग– नियोजन विभाग	
अनुपूरक–1 मद संख्या 215/2	नौएडा में विकसित की जा रही स्पोर्ट्स सिटीज परियोजनाओं के संबंध में।
निर्णय	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त संचालक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मा0 लोक लेखा समिति द्वारा उ0प्र0 शासन को संस्तुति/निर्देश दिये जाते हैं। स्पोर्ट्स

	सिटीज के संबंध में मा0 समिति द्वारा अपनी विभिन्न बैठकों में दिये गये निर्देश के क्रम में शासन द्वारा नौएडा प्राधिकरण को अभी तक कोई आदेश/निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। शासन से आदेश/निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही संचालक मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।
विभाग– वाणिज्यिक विभाग	
अनुपूरक–1 मद संख्या 215/3	**Unification of Policies of NOIDA, GNIDA & YEIDA** के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण अपने स्तर पर विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करे।
अनुपूरक–2 मद संख्या 215/3	{परिचालन पद्धति (**By Cirulation**) के माध्यम से अनुमोदित एजेण्डा} वाणिज्यिक बिल्डर भूखण्डों की योजना संख्या–2024 –25(क्षेत्रफल–20000 वर्गमीटर से कम एवं क्षेत्रफल–20000 वर्गमीटर से अधिक) तथा होटल भूखण्डों की योजना संख्या–2024–25 (होटल भूखण्ड–1) की नियम व शर्तों में संशोधन के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त हुई।

(डॉ0 लोकेश एम0)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सदस्य–सचिव

अनुमोदित

Manoj 25.11.24

(मनोज कुमार सिंह)
अध्यक्ष